राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांकः CCE/ISDC/ IPSUK/2019/..1490 Date: 13 Nov .2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

<u>अति–आवश्यक</u>

विषय : RACE योजना की प्रभावी क्रियान्विति के संबंध में।

संदर्भ : आयुक्तालय का पत्रांक CCE/P&C/ISDC/RACE/2019/946 दिनांक 12 जुलाई, 2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि RACE योजना की DRAC के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में सफलतापूर्वक क्रियान्विति हो रही है जिसके समाचार आयुक्तालय को भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिये आप सभी को हार्दिक बधाई।

इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि –

1. सभी महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 12 जुर्लाइ, 2019 को जारी आदेश क्रमांक 946 में निर्दिष्ट बिन्दुओं के संदर्भ में एक प्रजेन्टेशन के माध्यम से सभी संकाय सदस्यों के लिए सत्र आयोजित करें तथा संकाय सदस्यों से विद्यार्थी हित, संस्था विकास एवं अन्य विभिन्न अपेक्षित कार्यो की जानकारी उन्हें प्रदान करवायें।
2. इसी प्रकार का सत्र AAP/CAP कार्यक्रम के लिये भी आयोजित करावें ताकि समस्त संकाय सदस्य इस वार्षिक मूल्यांकन/अंकेक्षण की प्रक्रिया को समझ सकें एवं महाविद्यालयों को सहयोग प्रदान कर सकें। AAP/CAP कार्यक्रम के लिये गठित समिति की सहायता हेतु विभिन्न कम्पोनेन्ट्स के लिये महाविद्यालय स्तर पर उप समितियाँ भी बनाई जा सकती हैं।
3. ध्यान दें कि महाविद्यालय समूह अथवा जिला स्तर पर DRAC की बैठक में संस्था प्रधानों की व्यक्तिशः उपस्थिति अनिवार्य है। कुछ महाविद्यालयों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है कि संबंधित प्राचार्य महाविद्यालय में उपस्थित होते हुए भी प्रभारी अधिकारी अथवा DRAC की बैठक में स्वयं उपस्थित नहीं होते। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार की बैठकों में प्राचार्य स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित रहेंगे क्योंकि DRAC की समिति में वे ही सदस्य हैं तथा किसी विषय पर निर्णय के लिये सक्षमतः अधिकृत हैं। अतः आगामी बैठक में इस निर्देश की पालना हो।
4. RACE के अन्तर्गत विद्यार्थी, संकाय सदस्य एवं समाजोन्मुख विभिन्न गतिविधियों का आयोजन अपेक्षित है। विशेषतः विद्यार्थियों के लिए मैन्टरिंग कार्यक्रम एवं विभिन्न सफल व्यक्तियों को आमंत्रित कर कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने हैं। इनके लिए उक्त आदेश के पृष्ठ संख्या 6 और 7 का विशेष अवलोकन करें। अतः अपेक्षा है कि इस प्रकार के बहु–लाभ केन्द्रित कार्यक्रमों की अविलम्ब क्रियान्विति करावें ताकि विद्यार्थी, संकाय सदस्य, समाज के लोग एवं संस्थायें लाभान्वित हो सकें।

प्रदीप कुमार बोरड़ IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान

Letter No. CCE/ISDC/ IPSUK/2019/1491-92 Date: 13th Nov. 2019

प्रतिलिपि प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक HRD/ PI/ P&C/ Acad./ Admn./RUSA/RVRES आकाशि, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं भरतपुर।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, कालेज समूह, आकाशि, जयपुर।
8. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

13/11/19
डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी, नवाचार एवं कौशल विकास